

पर्वी डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी,

जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

1. पृथ्वीराज पुत्र रघुवीर जाति जाट निवारी 2 सीडीआर माणक टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. रामेश्वर पुत्र रघुवीर जाति जाट निवारी 2 सीडीआर माणक टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

-वादीयान

बनाम

1. रूघवीर पुत्र लेखराम जाति जाट निवारी 2 सीडीआर माणक टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. प्रमिला देवी पुत्री रूघवीर पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवारी शेखुपुरिया तहसील व जिला सिरसा।

प्रतिवादीगण


दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान

काश्तकारी अधि० 1955

उपस्थिति :- श्री कुन्दनलाल:- वादीगण
श्री जगदीश प्रसाद शर्मा:- प्रतिवादीगण

डिक्री

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री कुन्दनलाल व प्रतिवादी वकील श्री जगदीश प्रसाद शर्मा अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि 2 सी.डी.आर. जमाबंदी संवत् 2075 ता 2078 के वर्तमान संयुक्त खाता स० 66/75 में कुल 9.994 हेक्टेयर में से 1/4 हिस्सा के वादी स० 1 व 2 को ब०हि०ब० खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर वादीगण के पिता का नाम कलमजान किए जाने के आदेश दिए जाते हैं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी राक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरागद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।
यह पर्वी डिक्री आज दिनांक 25/10/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी।

